

निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

भाग-I

I	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कुमारी रजवंत सिंह
II	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	58- भावेली लोकसभा
III	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उत्तर प्रदेश
IV	निर्वाचन का स्वरूप (राज्य विधान सभा / लोक सभा के साधारण निर्वाचन / उप-निर्वाचन का उल्लेख करें)	लोकसभा के साधारण निर्वाचन
V	परिणाम घोषणा की तारीख	23.05.2019
VI	निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता	अनुज कुमार मिश्र, निर्वाचक अंजा पुर, कांठ गोंडवा प्रान्त, भावेली
VII	यदि अभ्यर्थी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो कृपया उस राजनैतिक दल के नाम का उल्लेख करें	शिव सेना
VIII	क्या राजनैतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है?	हाँ / नहीं

दिनांक : 19.06.19

स्थान : बलरामपुर

रजवंत सिंह  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
Anuj Kumar Mishra  
नाम



भाग-II अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

क्र० सं०	विवरण	अभ्यर्थी / उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत / प्राधिकृत व्यय (रुपये में)	राजनैतिक दल द्वारा उपगत / प्राधिकृत राशि (रुपये में)	अन्यों द्वारा उपगत / प्राधिकृत राशि (रुपये में)	कुल निर्वाचन व्यय (स्तम्भ 3, 4 एवं 5 का जोड़)
1	2	3	4	5	6
I	जन सभाएं, रैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय	—	—	—	—
	Iक : जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात : राजनैतिक दल के स्टार प्रचारक सहित होने वाले आयोजनों को छोड़कर) (अनुबंध 1 के अनुसार संलग्न करें )	—	—	—	—
	Iख : स्टार प्रचारक (कों) के साथ जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात : साधारण पार्टी प्रचार वाले आयोजनों को छोड़कर) (अनुबंध 2 के अनुसार संलग्न करें)	—	—	—	—
II	क्रम संख्या-I में उल्लिखित जन सभाओं, रैलियों, जुलूस इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुबंध 3 के अनुसार संलग्न करें)	22500	—	—	22500



22908

22908

सामग्री (अनुबंध 3 के अनुसार संलग्न करें)

III	केबल नेटवर्क, बल्क एस एम एस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची 4 के अनुसार संलग्न करें)	—	—	—	—
IV	अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नों) पर व्यय (अनुसूची 5 के अनुसार संलग्न करें)	92000	—	—	92000
V	प्रचार कार्यकर्ताओं/अभिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची 6 के अनुसार संलग्न करें)	—	—	—	—
VI	अन्य कोई प्रचार व्यय	40700	—	—	40700
	कुल योग	155100	—	—	155100

रजवंत सिंह

(85)

महि-11 अकाश के निर्माण एवं की मर 1994



भाग-III अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्रोत का सार

क्र०सं०	विवरण	राशि (रुपये में)
1	2	3
I	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची 7 के अनुसार संलग्न करें)	182000
II	पार्टी (टिथियों) से नकदी या चेक इत्यादि में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 8 के अनुसार संलग्न करें)	—
III	किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 9 के अनुसार संलग्न करें)	15000
	कुल	192000

रमवंत सिंह



# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु. 10



TEN  
RUPEES

R



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

80AD 116529



58-शापथी - बलरामपुर

शापथ-पत्र का प्रारूप

जिला निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख राजस्व विभाग, बलरामपुर

श्री/श्रीमती/र शजब-त सिंह सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री रामप्रतापसिंह आनु 45 निं-244 बलरामपुर

निवासी एतद्वारा इमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न प्रकार से घोषित करता हूँ :-

- (1) यह कि मैं 58-शापथी की लोक सभा/विधान के लिए साधारण निर्वाचन/समा निर्वाचन में संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, जिसका परिणाम को घोषित किया गया था।
- (2) यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक 1988 यह तारीख जब मुझे नामांकित किया गया था) एवं इसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने मेरे एवं मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी व्यक्तियों का पृथक एवं सही रखा गया है।
- (3) यह कि उक्त लेखा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में संशुद्ध किया गया था एवं उक्त रजिस्टर, इस लेखा में उल्लिखित वाउचर/विवरणों के साथ संलग्न है।
- (4) यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लेखों में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे सम्पर्क देने वाले व्यक्तियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी व्ययों में शामिल है एवं उनमें (जो प्राथमिक अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की व्ययों के संबंध में किए गए व्यय को छोड़कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका दवाया नहीं गया है।
- (5) यह कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के संलग्नक-1 में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/ अन्य संगठन/ मुझे सम्पर्क देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं।
- (6) यह कि पूर्व पैरा (1) से (5) तक में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और इनमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

अभिराक्षी

मेरे सम्मुख 2014 जून के इस 19 दिन में बलरामपुर में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा/शापथ ली गई

(साक्षर/अक्षर प्राधिकारी, अर्थात् 1 ओपी मजिस्ट्रेट अथवा शापथ आयुक्त या नोडली अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर)

2014 जून 19

शपथी

शजब-त सिंह

2014 जून 19

